छत्तीसगढ़ शासन

# श्रम-नीति

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
श्रम आयुक्त कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

# छत्तीसगढ़ शासन

## श्रम विभाग

# श्रम नीति - 2001

## प्रस्तावना :

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 01 नवंबर 2000 को हुआ। यह राज्य, प्राकृतिक वन संपदा, खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। औद्योगिक क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जैसे भारत सरकार के उपक्रम एवं अन्य जैसे राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कोरबा, विद्युत मंडल पूर्व एवं पश्चिम कोरबा, भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, बाल्को केप्टीव पॉवर प्लांट कोरबा जैसे, वृहद् उद्योग स्थापित हैं। वहीं निजी क्षेत्र में सीमेंट उद्योग की 07 ईकाईयां एवं अन्य कई छोटे-बड़े औद्योगिक ईकाईयाँ स्थापित हैं, जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रतिदिन रोजगार प्राप्त हो रहा है।

श्रमिकों के हित संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का समन्वय किया जाकर बेहतर से बेहतर सेवा शर्ते, सुविधाएं उपलब्ध किये जाने के साथ-साथ श्रम शक्ति/ शारीरिक श्रम शक्ति को पोष्क एवं वृद्धि किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

## 1. औद्योगिक संबंध :

औद्योगिक शांति स्थापित किये जाने के लिये नियोक्ता एवं नियुक्तों में परस्पर सद्भावना तथा मधुर संबंधों को

प्रोत्साहित किया जायेगा।

श्रम पूंजी एवं प्रबंध के समन्वय एवं सहयोग को पूर्ण रूप से महत्व दिया जावेगा। प्रबंधकों एवं श्रमिकों को निकट आने, एक - दूसरे से चर्चा, वार्तालाप करने एवं एक दूसरे की स्थिति का ज्ञान करने हेतु कदम उठाये जायेंगे ताकि आपसी मतभेद समाप्त हो और परस्पर विरोधी वातावरण समाप्त हो।

यह प्रयत्न किया जावेगा कि उद्योगपति स्वयं ही अपने श्रमिकों को निर्धारित वेतन एवं अन्य सुविधाएं दें और उनका हित संरक्षण करें श्रमिकों को उनका हक देने की पहल करें ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न ही न हों और यदि विवाद उत्पन्न हो तो उसका निराकरण परस्पर समझौते से हो जाय। परस्पर समझौता असफल होने पर संराधन एवं ऐच्छिक पंचाट को सौंपे जायेंगे एवं इनके असफल होने पर ही विवाद श्रम न्यायपालिका को सौंपे जायेंगे।

श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार को स्वीकार करते हुए अनुचित एवं अवैधानिक हड़ताल को न केवल निरूत्साहित किया जायेगा बल्कि उन्हें दृढ़ता से रोका जायेगा। नियोजकों को इस बात के लिये प्रेरित किया जावेगा कि वे श्रमिकों की उचित मांगों को मानकर कामबंदी आंदोलन की स्थिति को टालें।

**नियोजकों द्वारा की जाने वाली अनुचित एवं अवैधानिक तालाबंदी, अस्थायी कार्यबंदी, अवैधानिक छटनी को रोकने के** कारगर कदम उठाये जावेंगे। इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि कोई औद्योगिक विवाद विस्फोट की स्थिति में पहुंचने के

पूर्व ही उसका निराकरण हो जाये। इसके लिये औद्योगिक संबंधों को और अधिक गतिशील बनाया जायेगा।

उद्योगों में श्रमिकों की सहभागिता हेतु **"गुणवत्ता पर नियंत्रण"** एवं **"औद्योगिक संबंध समिति"** गठित की जावेगी। समिति की बैठक प्रत्येक माह में ली जावेगी एवं समिति में पारित निर्णयों का सशक्ति से पालन किया जावेगा।

## 2. व्यवसायिक संघ :-

श्रमिकों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने विवेक एवं इच्छा अनुसार स्वस्थ्य संगठनों के निर्माण करने, उन्हें विकसित करने तथा श्रमिकों को उचित तथा वैधानिक सभी हक दिलवाने में शासन यथा संभव सुविधाएं उपल्ब्ध करायेगा।

व्यवसायिक संघों की बाहुल्यता को नियंत्रित किया जावेगा और व्यवसायिक संघों के पंजीयन के लिये न्यूनतम संख्या निर्धारित किये जाने की ओर पहल किया जावेगा।

व्यवसायिक संघों के सदस्य श्रमिकों को नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा और उनके लिये बाहरी पदाधिकारियों की संख्या को प्रतिबंधित किया जावेगा।

एक उद्योग एक श्रमिक संघ के सिद्धांत को यथा संभव लागू किया जावेगा। और व्यवसायिक संघों को मान्यता देने के पूर्व नियमानुसार जांच की प्रक्रिया अपनाई जावेगी। औद्योगिक ईकाईयों में संघीय प्रतिस्पर्धा कम किये जाने के उद्देश्य से संघ को मान्यता प्रदान करते समय ईकाई के नियोक्ता का

भी अभिमत लिया जावेगा, इससे बढ़ती श्रमिक संघों की स्पर्धा कम होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ ईकाई के लिये वास्तविक श्रमिक संघ अस्तित्व में आयेगा।

## 3. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण :

वर्तमान में बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्रों जैसे- कृषि, चांवल मिल, धान मण्डी, निर्माणी क्षेत्र आदि में कार्य कर रहे हैं जिनकी संख्या संगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की अपेक्षा अधिक है। जिन्हें किसी भी प्रकार का न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है, साथ ही उन्हें समाज में उचित दर्जा एवं सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है, अतः ऐसे असंगठित श्रमिकों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिये राज्य में पृथक से कानून एवं नियम बनाये जायेंगे।

न्यूनतम वेतन अधिनियम की अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन कर उसमें और अधिक नियोजनों को जोड़ा जावेगा तथा उक्त अधिनियम की अधिक से अधिक संस्थानों पर कार्यान्वित किया जावेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्राप्त हो सके। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध किए जाने के साथ साथ स्थानीय परिस्थितियों पर भी विचार किया जावेगा।

कृषि, वन बीड़ी एवं निर्माण आदि उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों का शोषण न हो इसके लिये कदम उठाये जायेंगे और विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं को दिलाने का शासन भरसक प्रयत्न करेगी।

महिला श्रमिकों के वेतन तथा कार्यदशायें सुधार कर उन्हें शोषण से बचाया जायेगा साथ ही नियोजकों को महिला श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।

हम्माल श्रमिकों के लिये (कुली एवं रेजा) कार्य के घंटे, सेवा शर्ते एवं कार्यदशायें के बारे में कानून बनाये जाने का प्रयास किया जावेगा।

बाल श्रमिकों के कल्याण में शासन विशेष रूचि लेगा और खतरनाक नियोजनों में बाल श्रमिकों के प्रावधनों का कड़ाई से पालन करायेगा तथा बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास किये जायेंगे।

## 4. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों का संरक्षण :

पूर्वानुमानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषक, श्रमिक, कृषि कार्यो की समाप्ति के पश्चात् खाली समय के दौरान रोजी, रोटी की प्राप्ति हेतु स्वतंत्रता पूर्वक दूसरे राज्य को चले जाते हैं, ऐसी अनेक घटनायें सरकार के सामने आई है जिसके अनुसार दूसरे राज्यों में उन्हें अत्याधिक प्रताड़ित एवं शोषित किया जाता है। यद्यपि उनके कार्य की शर्तो को निर्धारित करने तथा उनके हित संरक्षण हेतु भारत सरकार ने **"Inter State migrant worker's (working and condition) Act 1979"** बनाया है किन्तु राज्य सरकार की राय में उक्त विधान के प्रावधानों से श्रमिकों को पूरा संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः प्रदेश से बाहर जाने वाले श्रमिकों को शोषण से बचाये जाने के उद्देश्य से अधिनियम को और अधिक प्रभावशाली बनाये जाने के लिये भारत शासन से निवेदन किया जावेगा।

## 5. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा :-

सरकार कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर सर्वाधिक ध्यान देगी। इसके लिये यह आवश्यक है कि जो कारखाना अधिनियम एवं नियम बनाये गये हैं उन्हें लागू किया जावेगा तथा इनका उल्लंघन करने वालों के लिये कठोर प्रावधान बनाये जायेंगे। सरकार प्राथमिक तौर पर "राष्ट्रीय सुरक्षा अध्याय" को छत्तीसगढ़ में लागू करेगी। जिससे लगातार सुरक्षा प्रशिक्षण में सुविधा होगी तथा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

इस बात पर विशेष बल दिया जावेगा कि कारखानों में उचित रूप से सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रहीं है या नहीं इसके लिये शासन द्वारा कारखानों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण की ओर बल दिया जावेगा कि प्रबंधक एवं श्रमिकों दोनों के द्वारा उचित रूप से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

## राज्य कर्मचारी बीमा योजना :

राज्य कर्मचारी बीमा योजना का सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जावेगा, जिससे प्रदेश के उद्योगों एवं आद्यौगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। योजना के तहत आवश्यकतानुसार औषधालय एवं अर्न्तरोगी चिकित्सालय खोले जावेगे एवं वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं में सुदृढ़ीकरण किया जावेगा।

## 7. श्रम न्यायपालिका :

श्रमिकों को शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय दिलाने के उद्देश्य से अधिक संख्या में श्रम न्यायालय स्थापित किये जावेगे तथा विवादों को सुनने एवं निराकरण की सुविधा प्रदान की जावेगी।

मौजूदा श्रम कानूनों के तहत बनाये गये दण्ड के प्रावधानों को संशोधित किया जावेगा तथा श्रम कानूनों के प्रर्वतन में कड़ाई लाई जावेगी। यह देखा गया है कि बहुत से श्रमिक दावे किन्हीं कारणों से श्रम न्यायालयों में बिना कार्यवाही के पड़े हुए है। अतः सरकार उक्त दावों को जल्द से जल्द निर्णय करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्रम न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ में औद्योगिक न्यायालय के मुख्य पीठ का यथा शीघ्र गठन किया जावेगा।

## 8. श्रम अधिनियमों में संशोधन :

विभिन्न श्रम अधिनियमों में श्रमिकों की परिभाषा में एकरूपता लाई जावेगी और इस परिभाषा के लिये वेतन सीमा में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जावेगा।

मौजूदा श्रम कानून बहुत पुराना होकर अव्यवहारिक है। अतः बदले हुए परिप्रेक्ष्य में मौजूदा कानून में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर उसे और अधिक सारयुक्त बनाया जावेगा।